# विहंगावलोकन

## विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में सर्वशिक्षा अभियान, उद्योग विभाग की कार्य प्रणाली, राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम का कार्यान्वयन तथा नगर निगम शिमला की कार्य प्रणाली पर चार निष्पादन लेखापरीक्षाएं तथा आधिक्य/निष्फलता/परिहार्य/निरर्थक व्यय, संविदाकारों को अनुचित लाभ, निधियों का अवरोधन, निरर्थक निवेश, निधियों का अपवर्तन, आदि से अन्तर्ग्रस्त 23 परिच्छेद शामिल हैं। कुछ महत्वपूर्ण परिणाम नीचे उल्लिखित हैं:

2009-14 के दौरान राज्य का कुल व्यय ₹ 13,164 करोड़ से ₹ 19,739 करोड़ बढ़ गया, 2009-10 में राज्य सरकार का राजस्व व्यय ₹ 11,151 करोड़ से 56 *प्रतिशत* बढ़ कर 2013-14 में ₹ 17,352 करोड़ हो गया जबकि पूंजीगत व्यय चार *प्रतिशत* घटकर 2009-14 की अवधि के दौरान ₹ 1,943 करोड़ से ₹ 1,856 करोड़ हो गया।

## निष्पादन लेखापरीक्षा

सर्वशिक्षा अभियान के महत्त्वपूर्ण परिणाम निम्नवत् हैं:

- जिला स्तरीय वार्षिक कार्य योजना की तैयारी के लिए समुदाय एवं मूल स्तर के कर्मचारियों की सहभागिता सुनिश्चित नहीं की गई थी।

**(परिच्छेद 2.1.7.1)**

- राज्य में 454 प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों (ग्रामीण क्षेत्र: 429 तथा शहरी क्षेत्र: 25) के पास अपने स्वयं के भवन नहीं थे।

**(परिच्छेद 2.1.10.2)**

- 2012-13 तक संस्वीकृत ₹ 467.52 करोड़ की लागत के 78950 सिविल कार्यों में से ₹ 44.48 करोड़ मूल्य के 5696 कार्य जून 2014 तक अपूर्ण रहे थे। संस्वीकृत राशि, किया गया व्यय, पूर्णता की तिथि इत्यादि के कार्यवार विवरण अनुरक्षित नहीं किये गये थे।

**(परिच्छेद 2.1.11.1)**

- 2009-14 के दौरान 877 तथा 1252 के मध्य के प्राथमिक विद्यालयों में दो अध्यापकों की न्यूनतम आवश्यकता के प्रति मात्र एक अध्यापक था। इसी तरह से उपरोक्त अवधि के दौरान 50 तथा 113 के मध्य के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम तीन अध्यापकों के मानकों के प्रति एक अध्यापक था।

**(परिच्छेद 2.1.12)**

- अगस्त 2014 तक बाल शिकायत निवारण तथा शिक्षा के अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु स्थानीय प्राधिकरण को नामित/गठित नहीं किया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत अभिव्यक्ति के अधिकार के लिए प्रशासनिक तंत्र भी अगस्त 2014 तक राज्य सरकार द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया गया था।

**(परिच्छेद 2.1.17)**

उद्योग विभाग की कार्यप्रणाली के महत्त्वपूर्ण परिणाम निम्नवत् हैं:

- विभाग ने मानव संसाधनों, कच्चेमाल, विपणन स्थलों, आदि की उपलब्धता से अंतर्विष्ट औद्योगिक सामर्थ्य के आकलन हेतु कोई सर्वेक्षण संचालित नहीं किया था।

**(परिच्छेद 2.2.6.1)**

- कुल बिक्री, निर्गम मूल्य, लाभ प्रदता, रोजगार सृजन की गुणवत्ता एवं सीमा, आदि, यह देखने के लिये कि क्या ये सार्वजनिक राजकोष पर कर रियायतों तथा इमदादों के भार के अनुरूप थे, के अनुश्रवण हेतु कोई तंत्र विद्यमान नहीं था।

**(परिच्छेद 2.2.6.2 तथा 2.2.6.3)**

- पट्टा धन की ₹ 40.53 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां सरकारी खाते में इन्हें जमा करने के बजाए औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बद्दी की निकाय निधि को अनियमित रूप से अपवर्तित की गई थी तथा ₹ 14.03 करोड़ विभागीय व्यय के प्रति अनियमित रूप से प्रयोग किये गए थे।

**(परिच्छेद 2.2.7.5)**

- औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक सम्पदाओं के अवसंरचनात्मक विकास से सम्बंधित 151 निर्माण कार्यों/संचालन/पूर्ण न होने के कारण ₹ 62.46 करोड़ निष्पादन अभिकरणों के पास 12 से 60 महीनों तक अवरोधित पड़े रहे।

**(परिच्छेद 2.2.8.6 तथा 2.2.9.2(ii))**

- औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक प्लाटों तथा अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं के प्रयुक्त न होने से ₹ 21.02 करोड़ का किया गया व्यय अधिकांशत: निष्फल रहा।

**(परिच्छेद 2.2.8.2, तथा 2.2.9.2(i))**

- विभाग की विभिन्न स्कीमों तथा गतिविधियों के प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए निर्धारित आंतरिक नियंत्रण तंत्र कमजोर था।

**(परिच्छेद 2.2.13)**

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के कार्यान्वयन के महत्त्वपूर्ण परिणाम निम्नवत् हैं:

- गांव तथा जिला जल सुरक्षा योजनाओं से विस्तृत जल सुरक्षा योजनायें जिनमें जन सांख्यिकी, भौतिक विशेषताएं, जल स्रोत, उपलब्ध पेयजल अवसंरचना, आदि सम्मिलित है, नहीं बनाई गई।

**(परिच्छेद 2.3.6.1)**

- 2009-14 के दौरान ₹ 11.50 करोड़ से लेकर ₹ 82.17 करोड़ के मध्य भारत सरकार की निधियों की अप्रयुक्ति व अपवर्तन के कारण भारत सरकार से अनुमोदित आवंटनों के प्रति ₹ 87.42 करोड़ कम जारी हुए।

**(परिच्छेद 2.3.8.2 व 2.3.8.4)**

- 2009-14 के दौरान ग्राम पंचायतों/ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समितियों को जलापूर्ति स्कीमों के परिचालन व अनुरक्षण कार्यों के अंतरण न करने से राज्य भारत सरकार के ₹ 59.27 करोड़ के प्रोत्साहन से वंचित रहा।

**(परिच्छेद 2.3.8.7)**

- राज्य में वर्ष 2012 तक सभी ग्रामीण बस्तियों को पर्याप्त सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करने का लक्ष्य मार्च 2014 तक प्राप्त नहीं किया गया।

**(परिच्छेद 2.3.9.1)**

- अगस्त 2014 तक 2009-14 के दौरान पूर्ण किए जाने को अनुबंधित 509 ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों में से ₹ 88.46 करोड़ खर्च करने पर भी 197 स्कीमें अपूर्ण पड़ी थी।

**(परिच्छेद 2.3.9.2)**

- 2009-14 के दौरान 48 जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं के लक्ष्य के प्रति केवल 14 प्रयोगशालाएं स्थापित की गई तथा रासायनिक व जीवाणिवक प्रदूषण जांच की अपेक्षित 21.02 लाख संख्या के प्रति केवल 1.66 लाख परीक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया जिसके प्रति 0.72 लाख परीक्षण किए गए।

**(परिच्छेद 2.3.11.1 व 2.3.11.2)**

- आंतरिक नियंत्रण तंत्र दुर्बल था। 2009-14 के दौरान स्कीमों के आवधिक प्रगति प्रतिवेदनों की समीक्षा के लिए अनुश्रवण व छानबीन यूनिट तथा समूह आधारित संगठनों द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा करना आदि स्थापित नहीं किए गए।

**(परिच्छेद 2.3.12.2 व 2.3.12.3)**

नगर निगम, शिमला की कार्यप्रणाली के महत्त्वपूर्ण परिणाम निम्नवत् हैं:

- योजना बनाने में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु निगम ने वार्ड सभाएं तथा वार्ड समितियां गठित नहीं की थी। वर्ष 2009-14 के दौरान वार्षिक कार्य योजनाएं एवं विकास योजनाएं भी नहीं बनाई गई थी।

**(परिच्छेद 2.4.6.2 व 2.4.6.3)**

- 2009-14 के दौरान ₹ 271.38 करोड़ की कुल उपलब्ध निधियों के प्रति नगर निगम ने ₹ 242.53 करोड़ का व्यय किया परिणामत: ₹ 28.85 करोड़ की बचतें हुई।

**(परिच्छेद 2.4.7.1)**

- नगर निगम द्वारा वितरित पानी की लागत व वसूली प्रभारों के मध्य ₹ 55.24 करोड़ का अन्तर था और सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा आपूरित पानी के सम्बन्ध में ₹ 161.74 करोड़ के दायित्व बकाया थे। मार्च 2014 तक किराया, उपकर तथा भूमि, भवन, मोबाईल टावर व पार्किंग भूभाग पर कर के सम्बन्ध में ₹ 8.84 करोड़ का बकाया वसूली हेतु देय था।

**(परिच्छेद 2.4.9.2, 2.4.14.1, 2.4.14.3 से 2.4.14.5)**

- छ: मल अभिक्रिया संयंत्रों (35.63 मिलियन लीटर प्रतिदिन अधिष्ठापन क्षमता)को लगाने हेतु ₹ 74 करोड़ खर्च करने के बावजूद वास्तविक प्रयुक्ति 4.8 मिलियन लीटर प्रतिदिन (13 *प्रतिशत*) थी, परिणामत: बिना अभिक्रिया मलजल, बिना निकासी रहा तथा खुले में छोड़ दिया गया।

**(परिच्छेद 2.4.10.1)**

- अनाधिकृत निर्माण को रोकने तथा पता लगाने का तंत्र अपर्याप्त था। पता लगाए गए मामलों में भी (73 *प्रतिशत* लम्बित) नियमानुसार कार्यवाही नहीं की गई थी।

**(परिच्छेद 2.4.14.2)**

- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरण मिशन के अंतर्गत ₹ 24 करोड़ से स्वीकृत 636 निवास यूनिटों में से केवल 40 यूनिट पूर्ण किए गए, 136 प्रगतिरत थे और शेष 460 यूनिटों के कार्य भूमि की अनुपलब्धता के कारण आरम्भ नहीं किए गए।

**(परिच्छेद 2.4.17.1)**

- जुलाई 2014 तक हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 के अनुसार परियोजनाओं/स्कीमों, आदि के अनुश्रवण एवं निरीक्षणार्थ आवधिक तन्त्र विद्यमान नहीं था।

**(परिच्छेद 2.4.18.1)**

## अनुपालना लेखापरीक्षा

### वन प्रबंधन की गहनता स्कीम का कार्यान्वयन

2011-14 के दौरान ₹ 1.74 करोड़ की गैर-प्रयुक्ति और ₹ 1.02 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्रों की गैर-प्रस्तुती के कारण राज्य ₹ 3.27 करोड़ की केन्द्रीय निधियों से वंचित रहा। उपरोक्त अवधि के दौरान आगजनी नियंत्रण गतिविधियों के अंतर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी 10 से 33 *प्रतिशत* के मध्य थी। फरवरी 2011 से नवम्बर 2012 के मध्य निष्पादन हेतु आरम्भ किया गया तीन भवनों का निर्माण (संस्वीकृत लागत ₹ 0.43 करोड़) ₹ 0.36 करोड़ का व्यय करने के पश्चात भी अपूर्ण था।

***(परिच्छेद 3.3)***

### छात्रावासों तथा आवासीय रिहायिशों के निर्माण पर निष्फल व्यय

आवश्यकताओं का निर्धारण किए बिना अनुचित स्थानों पर छात्रावासों तथा आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के परिणामस्वरूप उनका कम/गैर-उपयोग हुआ और ₹ 1.72 करोड़ का व्यय बड़े पैमाने पर निष्फल रहा।

***(परिच्छेद 3.7)***

### अस्पताल सेवाएं परामर्शदात्री निगम को भुगतान आधिक्य और सरकारी लेखों से बाहर रखी निधियों पर ब्याज हानि

अस्पताल के निर्माण पर वास्तविक व्यय को जांचे बिना परामर्शदात्री अभिकरण को निधियां जारी करने से विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप ₹1.56 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ और वित्तीय नियमावली के गैर-अनुपालन से ₹51.60 लाख की ब्याज हानि के अतिरिक्त ₹ एक करोड़ सरकारी लेखा से बाहर रहे।

***(परिच्छेद 3.11)***

### पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना का कार्यान्वयन

स्कीम के दिशा निर्देशों के विपरीत 2010-14 के दौरान नमूना जांचित जिलों के उपायुक्तों द्वारा कोषागार से वास्तविक आवश्यकताओं के अग्रिम रूप में ₹ 0.24 करोड़ से ₹ 1.23 करोड़ के मध्य निधियां आहरति कर और बैंकों में रखी गई थी। 2011-14 के दौरान पूर्व तकनीकी अनुमोदन प्राप्त किए बिना सड़क तथा पुल क्षेत्र के अंतर्गत ₹10.31 करोड़ के लिए 592 निर्माण कार्य संस्वीकृत किए गए थे। 11

निष्पादन अभिकरणों द्वारा जुलाई 2014 तक ₹ 3.95 करोड़ के लिए संस्वीकृत (2008-14) 168 निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किए गए थे जिसमें चार से 72 महीनों का विलम्ब हुआ।

***(परिच्छेद 3.12)***

**फर्म को अनुचित वित्तीय लाभ**

विभाग द्वारा संविदात्मक प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने में असफलता से फर्म को ₹ 8.01 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचाने के अतिरिक्त ₹ 12.66 करोड़ का व्यय अधिकांशत: निष्फल सिद्ध हुआ।

***(परिच्छेद 3.13)***

**सड़क तथा पुल के निर्माण पर अनुत्पादक व्यय**

सड़क तथा पुल निर्माण कार्य की समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने में विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.46 करोड़ का अनुत्पादक व्यय हुआ।

***(परिच्छेद 3.18)***

**जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के अन्तर्गत स्कीमों का निष्पादन**

दो एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं के परियोजना अधिकारियों द्वारा 2011-14 के दौरान बिना पूर्व तकनीकी संस्वीकृतियां प्राप्त किये ₹13.35 करोड़ के लिए 552 कार्य संस्वीकृत किये गए थे। स्कीम के दिशा-निर्देशों के विपरीत उपरोक्त अवधि के दौरान ₹ 2.15 करोड़ के 124 अस्वीकार्य कार्य भी संस्वीकृत किये गए थे। पुल के निर्माण कार्य के पूर्ण न होने के कारण तीन पुलों तथा दो सम्पर्क सड़कों के निर्माण पर ₹ 10.21 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

***(परिच्छेद 3.21)***

**कल्याण एवं बालिका संरक्षण के लिए स्कीमों का कार्यान्वयन**

किशोरी छात्राओं के सशक्तिकरण हेतु किशोरी शक्ति योजना एवं राजीव गांधी स्कीम के अंतर्गत 40 से 49 *प्रतिशत* पहचान की गई बालिकाएं (11-18 वर्ष आयु की) 2011-14 के दौरान आवृत्त की गई । बेटी है अनमोल योजना में पहचान किए गए 98,776 लाभार्थियों में से 77,213 आवृत्त नहीं किए गए थे अत: उपरोक्त अवधि के दौरान 21,563 अभिप्रेत लाभों से वंचित रहे । मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना स्कीम के अंतर्गत निर्मित बालिका आश्रमों में स्टाफ की कमी तथा मूलभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं की कमी थी।

***(परिच्छेद 3.23)***